सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 12 / 2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – रूपनगर

1. श्रीमती कसूमी देवी वयस्क पत्नि श्री जफरू जी
2. श्री कमरूद्दीन वयस्क पुत्र श्री जफरू जी
3. श्री अली वयस्क पुत्र श्री जफरू जी
4. मोहनी वयस्क पुत्री श्री जफरू जी
5. सलमा वयस्क पुत्री श्री जफरू जी
6. श्रीमती सविता बानू वयस्क पत्नि श्री कमरूद्दीन

समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम फतेहगढ़ सल्ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

——— प्रार्थीगण

ब ना म

राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय ब्यावर (राज.)

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 08.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट रूपनगर में पेश हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला स्थित आराजी खसरा संख्या 87 रकबा 00–15–00, 100 रकबा 02–00–00 में से खसरा संख्या 87 प्रार्थिया नम्बर 6 की खरीदशुदा एवं खातेदारी की भूमि चली आ रही है एवं खसरा नम्बर 100 प्रार्थी नम्बर 1 लगायत 5 की व अन्य की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्रार्थी नम्बर 1 से 5 व अन्य के नाम ही अंकित चली आ रही है। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात के प्रार्थीगण ही रेकार्डेड खातेदार चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात का सीमाज्ञान / पत्थरगढ़ी नहीं हो रखी है जिसकी वजह से आस पास के खातेदारों से आये दिन विवाद होते रहते हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 09.02.2018 को अप्रार्थी से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी द्वारा इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतएव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजियात का नाम चोप करवावाया जाकर सीमाज्ञान / पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने मज़में आम में कथन किए नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है एवं इस आशय का अंकन आदेशिका में पार्श्वांकित किया।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 353 में अंकित खसरा संख्या 87 रकबा 00–15–00 किस्म बारानी 2 अप्रार्थी संख्या 6 सविता बानू पत्नि कमरूद्दीन के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 44 में अंकित खसरा संख्या 100 रकबा 02–00–00 बीघा कसूमीदेवी पत्नि स्व. जफरू कमरूद्दीन अली नेकदीन बनेवदीन पि. जफरू मोहनी सलमा पुत्रिया जफरू कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व उनके भाई बहिनों के नाम दर्ज हैं तथा वे खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार ब्यावर को रू. 5000 /– (अक्षरे पांच हजार रूपये) फीस तय की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी एवं विवादित खसरान् के पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारियान / भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर के खसरा संख्या 87 रकबा 00–15–00 किस्म बारानी 2, खसरा संख्या 100 रकबा 02–00–00 किस्म बारानी 2 का नियमानुसार सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी करावें। पालना रिपोर्ट 10 दिवस में प्रस्तुत करें ।

आदेश आज दिनांक 08–05–2018 को मज़में आम में ग्राम पंचायत रूपनगर में खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समासिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर